संख्या– 196/XXVII(7)50(24)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7

देहरादूनः दिनांक 05 सितम्बर, 2016

विषयः राजकीय शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष 02 विशिष्ट अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या महानिदे0/7580/रा0शि0सं0/2015–16 दिनांक 02 दिसम्बर, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय शिक्षकों को एक कलैण्डर वर्ष में 01 उपार्जित अवकाश के स्थान पर 03 उपार्जित अवकाश दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. वित्तीय हस्तपुस्तिका के सहायक नियम 143 के अनुसार शिक्षा विभाग के विद्यालयों को दीर्घावकाश विभाग (Vacational Department) की श्रेणी में रखा गया है। वित्तीय नियम 81–ख (1) (ग्यारह) के अनुसार किसी दीर्घावकाश विभाग में सेवारत सरकारी सेवक को उसे अनुमन्य अर्जित अवकाश की अवधि की ड्यूटी के प्रत्येक वर्ष के लिए जिसमें वह पूर्ण दीर्घावकाश का उपभोग करता है, तीस दिन तक कम कर दी जायेगी। इस प्रकार उनके द्वारा एक कलैण्डर वर्ष में अर्जित 31 दिन के अवकाश में से 30 दिन का अवकाश घटाते हुए उन्हें 01 दिन का उपार्जित अवकाश अनुमन्य किया जाता है। वर्तमान में राजकीय शिक्षकों को एक शैक्षिक सत्र में 48 दिन का दीर्घावकाश अनुमन्य है तथा वित्तीय नियमों के आलोक में उन्हें एक कलैण्डर वर्ष में 01 दिन का उपार्जित अवकाश अनुमन्य किया जाता है।

3. शिक्षक संघों की मांगों पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राजकीय शिक्षकों को, जिन्हें वर्तमान में दीर्घावकाश अनुमन्य है, उन्हें अनुमन्य दीर्घावकाश की अवधि 48 दिन के स्थान पर 46 दिन निर्धारित करते हुए प्रतिवर्ष 02 विशिष्ट अवकाश अनुमन्य किये जांय। अनुपभुक्त (Unutilized) विशेष अवकाश वर्ष की समाप्ति पर संचित होगा। उक्त अनुपभुक्त (Unutilized) विशिष्ट अवकाश नगदीकरण हेतु अनुमन्य नहीं होगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– 196/XXVII(7)50(24)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।